न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0 – 797/2025
कच्छवा थाना कांड सं0– 142/2025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 797/2025
आदेश

17.06.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त 1. सुजीत कुमार 2. कृष्णा प्रसाद 3. रीना देवी 4. छोटन कुमार एवं 5. बिट्टु कुमार की ओर से दाखिल किया गया है, जिन्हें भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 85, 352, 351(2), 3(5) एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अधीन दर्ज कच्छवा थाना कांड सं0 142/2025 में गिरफतार किए जाने की आशंका है तथा उक्त वाद वर्तमान में श्री दीपक कुमार सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्तों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार प्रसाद को सुना, सूचिका की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री किशोर कुमार कमल को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचिका की शादी दिनांक 15.02.2023 को अभियुक्त सुजीत कुमार के साथ हुई थी। विवाह के उपरांत अभियुक्त एवं उसके परिजन द्वारा सूचिका के साथ मारपीट तथा कूर व्यवहार किया जाता था। आगे आरोप है कि सूचिका के पति का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसका विरोध करने पर सूचिका को प्रताड़ित किया जाता था। सूचिका के गर्भवती होने तथा दिनांक 10.03.2025 को पुत्री के जन्म के पश्चात अभियुक्तों द्वारा उसके साथ और अधिक दुर्व्यवहार किया जाने लगा तथा 10,00,000/–रुपए दहेज की मांग की जाने लगी। यह भी आरोप है कि अभियुक्तों ने सूचिका एवं उसकी नवजात पुत्री के साथ मारपीट किया। सूचना मिलने पर सूचिका के पिता एवं अन्य परिजन उसके ससुराल पहूंचे, जहां अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। उक्त आरोपों के आधार पर वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई।

आवेदक अभियुक्तों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्तों की ओर से पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय, पटना या सत्र न्यायालय में कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आगे आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है। उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आगे आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन पक्ष की समस्त कहानी असत्य एवं मनगढ़ंत है। सूचिका ने आवेदक अभियुक्तों को परेशान एवं अपमानित करने की नीयत से यह वाद दर्ज कराया है। आवेदक अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद में भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का अभियोग नहीं बनता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक अभियुक्त सुजीत कुमार सूचिका का पति है। आवेदक अभियुक्त कृष्णा प्रसाद एवं रीना देवी सूचिका के सास एवं ससुर है तथा आवेदक अभियुक्त छोटन कुमार एवं बिट्टु कुमार सूचिका के देवर है। आवेदक अभियुक्त कृष्णा प्रसाद, रीना देवी, छोटन कुमार एवं बिट्टु कुमार का सूचिका एवं उसके पति के बीच के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं है तथा आवेदक अभियुक्त कृष्णा प्रसाद, रीना देवी, छोटन कुमार एवं बिट्टु कुमार के विरुद्ध दहेज मांगने एवं प्रताड़ित कने का विनिर्दिष्ट अभियोग नहीं है। अभिलेख पर जख्मी का कोई जख्म प्रतिवेदन नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्तों को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्तों के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा कहा है कि आवेदक अभियुक्त सुजीत कुमार सूचिका का पति है। सूचिका ने इस अग्रिम जमानत आवेदन के सुनवाई के अनुक्रम में दिनांक 12.05.2026 को एक आवेदन देकर अपने पति के विरुद्ध पुनः दहेज की मांग करने तथा दहेज नहीं मिलने पर उसे प्रताड़ित करने का विनिर्दिष्ट अभियोग

लगातार
17.06.2026

लगाया है। अतः उन्होंने आवेदक अभियुक्तों के अग्रिम जमानत आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की प्रार्थना की है।

सूचिका के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदक अभियुक्तों के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा उनके अग्रिम जमानत आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की प्रार्थना की है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं तथा अभिलेख पर आवेदक अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त सुजीत कुमार सूचिका का पति है। सूचिका के द्वारा इस अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई के क्रम में भी दिनांक 12.05.2026 को एक आवेदन प्रस्तुत कर अपने पति सुजीत कुमार के विरुद्ध दहेज की मांग करने तथा दहेज नहीं मिलने पर प्रताड़ित किए जाने का विनिर्दिष्ट आरोप लगाया गया है। आरोपों की प्रकृति एवं उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त सुजीत कुमार को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझती है।

जहां तक आवेदक अभियुक्त कृष्णा प्रसाद, रीना देवी, छोटन कुमार एवं बिट्टु कुमार का संबंध है, वे सूचिका के ससुराल परिवार के सदस्य हैं। उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त आवेदक अभियुक्तों का सूचिका एवं उसके पति के बीच के विवाद एवं पारस्परिक व्यवहार से कोई सरोकार नहीं है। अभिलेख पर इनके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अभियुक्त कृष्णा प्रसाद, रीना देवी, छोटन कुमार एवं बिट्टु कुमार की पारिवारिक स्थिति, स्वच्छ पूर्ववृत्त तथा वाद की समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों तथा उभय पक्षों के तर्कों पर विचार करने के पश्चात आवेदक अभियुक्त कृष्णा प्रसाद, रीना देवी, छोटन कुमार एवं बिट्टु कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता हैं कि यदि आवेदक अभियुक्त कृष्णा प्रसाद, रीना देवी, छोटन कुमार एवं बिट्टु कुमार को आदेश पारित करने की तिथि से **पंद्रह** दिनों के अंदर गिरफ़्तार किया जाता है या वे विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं, तो वैसी स्थिति में आवेदक अभियुक्त **कृष्णा प्रसाद, रीना देवी, छोटन कुमार एवं बिट्टु कुमार** की ओर से 7000/–रूपये की समान राशि के दो प्रतिभू सहित, विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा– 482(2) के शर्तो के अधीन रहते हुए, बंधपत्र निष्पादित किया जाता हैं, तो उन्हें अग्रिम जमानत पर **मुक्त** कर दिया जायेगा। किन्तु आवेदक अभियुक्त **सुजीत कुमार** के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति, उसके विरुद्ध लगाए गए विशिष्ट अभियोग तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए उसका अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।